

GOVERNMENT OF INDIA


 सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2018/चैत्र 2, 1940	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 474
No. 66]	DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2018/ CHAITRA 2, 1940	[N.C.T.D. No. 474

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 22 मार्च, 2018

सं0फा0 8(18)/2016/एसबी/891.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 14 नवम्बर 1993 की अधिसूचना सं0 फा04(114)/91-एसबी/874 के अनुसार नियंत्रक के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पद हेतु भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2018 कहा जायेगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं.**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति —

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	नियंत्रक
2.	पदों की संख्या	:	*01 (एक) (2018) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर / वेतनमान	:	स्तर-12 (78800-209200/- रुपये) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	50 (पचास) वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा के विज्ञापन के अनुसार होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि 2. सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त या सांविधिक निकाय / विश्वविद्यालय/संस्थान में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, अथवा 6000/-रुपये और उच्चतर शैक्षणिक ग्रेड पे में सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर के रूप में दस वर्ष या 7000/-रुपये की शैक्षणिक ग्रेड पे उच्चतर में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर के साथ-साथ स्नातकोत्तर अध्ययन के शैक्षणिक संस्थान जैसे विश्वविद्यालय या उच्च अध्ययन के संस्थान में शिक्षागत प्रशासन में जिसमें विश्वविद्यालय के संस्थान में पांच वर्ष किसी स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान में आवश्यक है। टीप-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2: यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है	:	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्धसरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधिकारी</p> <p>(क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>(2) 15600-39100/-रूपये, 6600/-रूपये ग्रेड पे सहित पे बैण्ड-3 में पदों में, नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; अथवा</p> <p>(3) 9300-34800/-रूपये, 5400/-रूपये ग्रेड पे सहित पे बैण्ड-2 में पदों में, नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष;</p> <p>तथा</p> <p>(ख) कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले:</p> <p>(केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	<p>'क' वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य सचिव, रा0रा0के0 दि0स0 - अध्यक्ष 2. सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग -सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

अश्वनी कुमार कंसल, उप-निदेशक (एसबी)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd March, 2018

No. F.8(18)/2016-SB/891.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 24/78/68-DH (S) dated 24th September, 1968 and supersession of the Recruitment Rules for the post of Controller vide notification No.F.4(114)/91-SB/874 dated 14th November, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission, is pleased to amend the Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Controller, Board of Technical Education under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Registrar, Board of Technical Education in Department of Training & Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in Column (2) to (4) of the said Schedule attached thereto.

3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column No. (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person—

(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Department of Training and Technical Education may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reason to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix/Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Controller	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General, Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-12 (Rs. 78800-209200) as per 7 th CPC	Not Applicable	Not Exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government) Note: The Crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	Essential: (I) A Master's Degree in any Discipline from a recognized University / Institute. (II) Ten years administrative experience in a Department / Public Sector Undertaking / Statutory or Autonomous Body / University / Institute; OR

						<p>Ten years experience as Assistant Professor / Lecturer in AGP of Rs. 6000 and above Or with Eight years service in the AGP of Rs. 7000 and above including as Assistant Professor / Lecturer along with educational administration in academic institutions like University, Or in an Institute of Higher Learning of which five years must be in a University of an institute of post graduation study.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable	One year	By Deputation (Including Short-Term Contract) failing which by Direct Recruitment.	Deputation (including short term contract): Officers under Central Government/ State Governments / Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings / Universities / Recognized Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies / Statutory Organizations:	Group 'A' Departmental Confirmation Committee: (I) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi-Chairman (II) Secretary, Department of	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

		<p>A. (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; OR</p> <p>(ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; OR</p> <p>(iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2, 9300-34,800 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>AND</p> <p>B. Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>(Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of Deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>	<p>Training & Technical Education-Member</p> <p>(1) Head of Department concerned unless he/she is ex-officio secretary in the administration-Member</p>	
--	--	--	---	--

By Order and in the Name of the
Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi,

ASHWANI KUMAR KANSAL, Dy. Director (SB)

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.30 20:25:29
+05'30'